

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -210/2023

अनवान : -

1. सन्तलाल पुत्र मनफुलराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
2. साहबराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र मनफुलराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. मनफुल पुत्र खिराज जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
2. सन्तो देवी पुत्री मनफुलराम पत्नी हनुमान जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास बाईया तहसील राणीया जिला सिरसा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 21.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्डेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता स0 159/140 की कुल 2.8740 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/42 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा खिराज पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद वादी के पिता यानि की प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 जो की वादीगण की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता स0 159/140 की कुल 2.8740 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/42 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढंढेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता स0 159/140 की कुल 2.8740 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/42 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। इसी

अधिकारी (राजस्व)
र (हनुमानगढ़)

UCC. -
अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/11/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-मलवानी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -210/2023

अनवान : -

1. सन्तलाल पुत्र मनफुलराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
2. साहबराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र मनफुलराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्


1. मनफुलराम पुत्र खिराज जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
2. सन्तो देवी पुत्री मनफुलराम पत्नी हनुमान जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवास बाईया तहसील राणीया जिला सिरसा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 210 सन 2023 निर्णय दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेलाबारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता स0 159/140 की कुल 2.8740 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/42 की कुल 1.6310 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.6.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-मलवानी